an>

Title: Need to resolve the issue of ban imposed by RBI on transaction by Urban Co-operative bank located in Laldiggi Mohalla in Mirzapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के लालडिग्गी मोहल्ले में स्थित "अर्बन कोआपरेटिव बैंक" में 15 हजार उपभोक्ताओं का 12 करोड़ रूपया फँस गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने बैंक के लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। फरवरी 2014 में हुई छापेमारी में वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियमों को ताक पर रखकर 5 करोड़ रूपए का ऋण बैंक द्वारा वितरित किया गया। बैंक में ऑगनबाडी, ए.एन.एम., विधवा-वृद्धा पेंशन आदि जैसे कई सरकारी खाते हैं, जिससे अधिकारी/कर्मचारी और आम जनता को भुगतान किया जाता है। वर्तमान परिस्थितयों में बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निरस्त किए जाने की नौबत आ सकती है। ऐसी दशा में ग्राहकों की बहुत हानि होगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकरण को अविलम्ब संज्ञान में लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया गवर्नर से संवाद करके इस समस्या का समाधान करें।